**झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में**
**सी0एम0पी0 संख्या–268 / 2019**

धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ......... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य।
2. निबंधक, सहकारी समितियाँ झारखण्ड, डाल्टनगंज केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड डाल्टनगंज, डाकघर एवं थाना–डाल्टनगंज, जिला–पलामू।
3. प्रबंध निदेशक, डाल्टनगंज केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, डाल्टनगंज, डाकघर एवं थाना–डाल्टनगंज, जिला–पलामू।
4. सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार, शहीद चौक, डाकघर एवं थाना–रांची।

......... विपक्षीगण

**<u>कोरमः</u>** **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्रीमती सविता कुमारी, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : श्री अमित कु0 सिन्हा, अधिवक्ता

04 / 27.09.2019 पक्षों के लिए अधिवक्ता को सुना।

वर्तमान सी0एम0पी0, डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 285 / 2011 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने के लिए दायर किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता की उपस्थिति न होने के कारण इस न्यायालय द्वारा 25.02.2019 को इसे खारिज कर दिया गया है।

अनुकम्पा पर नियुक्ति पाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी।

बताए गए कारण और अनुतोष की प्रकृति के मद्देनजर, सी0एम0पी0 संख्या 268/2019 को अनुमति दी गई है। तद्नुसार, डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 285/2011 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(राजेश कुमार, न्याया0)